(11)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या पुराने 45/2018 नये वाद :–
अजय कुमार मिश्रा पुत्र सज्जनलाल मिश्रा उम्र 43 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 17 मण्डावा तहसील व जिला झुझुनूं

प्रार्थी आवेदक

वनाम

1. श्यामलाल पुत्र स्व. मक्खनलाल उम्र 50 वर्ष जाति माली (सैनी) निवासी वार्ड नं 20 मण्डावा तहसील व जिला झुझुनूं ।
2. गजानन्द पुत्र स्व. मक्खनलाल उम्र 30 वर्षजाति माली (सैनी) निवासी वार्ड नं. 20 मण्डावा तहसील व जिला झुझुनूं ।
3. रूकमणी पुत्री स्व. मक्खनलाल पत्नी हरीराम उर्फ भगवानारामजाति माली (सैनी) निवासी वार्ड नं 20 मण्डावा हाल निवासी बड़ी मस्जिद के पास विसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
4. दुर्गा पुत्री स्व. मक्खनलाल पत्नी रामचन्द्र जाति माली (सैनी) निवासी वार्ड नं. 20 मण्डावा हाल निवासी बड़ी मस्जिद के पास विसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं ।
5. कृष्णा पत्नी पवनकुमार उम्र 29 वर्ष जाति माली (सैनी) निवासी वार्ड नं. 20 मोहल्ला आनन्दपुरा मण्डावा तहसील व जिला झुझुनूं ।
6. पूजा पुत्री पवनकुमार उम्र 12 वर्ष जातिगण माली निवासीगण वार्ड नं. 20 मण्डावा तहसील व जिला झुझुनूं
7. प्रियंका पुत्री पवनकुमार उम्र 14 वर्ष जातिगण माली निवासीगण वार्ड नं. 20 मण्डावा तहसील व जिला झुझुनूं
8. हिमांशु पुत्र पवनकुमार उम्र 10 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरति वली माता कृष्णा पत्नी पवनकुमार जातिगण माली निवासीगण वार्ड नं. 20 मण्डावा तहसील व जिला झुझुनूं।
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार झुझुनूं तहसील व जिला झुझुनूं।

अप्रार्थी

अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 25.07.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा मण्डावा की सरहद में जमीन हाल खसरा नम्बर 404 रकबा 0.96 हैक्टर स्थित है। आवेदक उक्त जमीन का खातेदार काश्तकार है।कस्बा मण्डावा की सरहद में स्थित जमीन खसरा नम्बर 478 रकबा 0.70 हैक्टर व खसरा नम्बर 479 रकबा 0.97 हैक्टर कुल रकबा 1.67 हैक्टर के खातेदार काश्तकार सयुंक्त रूप से अनावेदक नं. 1 लगायत 8 है। उक्त जमीन का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है।आवेदक की जमीन खसरा नम्बर 404 रकबा 0.96 हैक्टर में आने जाने, जमीन को काश्त करने, पशुधन ले जाने, जमीन को काश्त करने हेतु ट्रैक्टर ले जाने हेतु रास्ता नहीं है। आवेदक अपनी उक्त जमीन में जाने के लिये अनावेदक नं. 1 लगायत 8 की जमीन खसरा नम्बर 479 रकबा 0.97 हैक्टर में से सार्वजनिक रास्ता है। आवेदक की जमीन उक्त जमीन खसरा नम्बर 479 की उतर की तरफ सटककर जमीन है। आवेदक खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

479 में से जमीन खसरा न. 403 के सहारे सहारे खसरा नम्बर 404 तक 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम करवाना चाहता है जिसके लिये आवेदक कानुनन जमीन का शुल्क अनावेदक नं. 1 लगायत 8 को अदा करने को तैयार है। इसलिये जमीन खसरा नम्बर 479 में से आवेदक की जमीन ख.न. 404 तक अनावेदक न. 1 से 8 की जमीन उतरी सीमा के सहारे सहारे 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित है। आवेदक के उन खेर ख.न. 404 में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस दो रूपये पर अन्दर मियाद पेश है। अतः आवेदक की ओर से आवेदन पत्र सेवामें पेशकर निवेदन है कि:—जमीन हाल खसरा न. 479 रकवा 0.97 हैक्टर में से रास्ते से जमीन की उतरी सीमा के सहारे सहारे जमीन ख.न. 404 के लिये 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिया जावे।नक्शासीट में उक्त रास्ता कायम किये जाने के लिये अनावदेक नं. 9 को आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पावन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मण्डावा से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 01 व 02 की ओर जरिये वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया यह कि प्रार्थी ने अपना आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो मात्र जोतों पर ही लागू किया जा सकता है। आवेदकगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 478 व 479 को कृषि के रूप में काम नहीं लेते है बल्कि अनावेदकगण सभी भाई अपनी भूमि में अपने—अपने मकानात बनाकर बिजली पानी का कनेक्शन लेकर मय परिवार उस भूमि में आवाद है, निवास करते है। अब यह भूमि कृषि भूमि का स्वरूप खो चूकी है और आवादी भूमि के रूप में है। इसके आस—पास की अन्य भूमियां भी आवादी भूमि है, जहां कस्बा मण्डावा का वार्ड नम्बर 20 आधा वसा हुआ है। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) कृषि जोतों पर ही लागू होती है. आवादी भूमि पर यह लागू नहीं होती है, जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काविले खारिज है। खसरा नम्बर 478, 479, 477, 476, 483, 491 आदि सभी खसरों में आवादी वसी हुई है। आवादी भूमि में से, रास्ता उपलब्ध कराने का श्रीमान् के न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र काविले निरस्त है।धारा वाईज जवाबः— प्रार्थना पत्र की धारा नम्बर 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। पूर्व में यह भूमि खसरा नम्बर 404 रकवा 0.96 शाह (महाजनों) की जमीन थी. आवेदक ने कब यह भूमि क्रय की है, जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की धारा नम्बर 2 स्वीकार है।प्रार्थना पत्र की धारा नम्बर 3 अस्वीकार है। इस धारा में आवेदक ने समस्त तथ्य झूठे एंव मनगढन्त दर्ज किये है। आवेदक के कोई पशुधन नहीं है। एक असरदार राजनेता का पुत्र होने तथा जमीनों का करोवार करने वाला होने के कारण अनावेदकगण को करीव तीन महिनों से डरा—धमका रहा है। विवादित भूमि सेठों के समय से ही पड़त के रूप में पड़ी है, ना तो काश्त होती है और करीव 15—20 वर्षों से कभी भी काश्त नहीं हुई है। यह आवादी भूमि के पास है तथा आवेदक उक्त भूमि की प्लॉटिंग करना चाहता है। भूमि खसरा नम्बर 404 में जाने का रास्ता कस्बा से बाबा छोटेनाथ जी की मण्डी में जाने के लिए एक आम रास्ता है। खसरा नम्बर 405, 406 से होकर खसरा नम्बर 428 व 432 में जाने का आम रास्ता है और इसी रास्ते से होकर खसरा नम्बर 406 में से होकर ही हमेशा से इस भूमि के खातेदार जाते—आते रहे है। खसरा नम्बर 403, 404, 405, 406, 474 सभी खाली 1 पड़त के रूप में है, जिनमें कोई काश्त नहीं होती है। आवेदक को वास्तव में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 406 खाली

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

पड़ा है, जिसमें से होकर ही इस भूमि के मूल खातेदार महाजन लोग जाते आते रहे है। अनावेदकगण से अपनी जमीन से रास्ता दक्षिण–पश्चिम में देकर खसरा नम्बर 403 में पहुंचा दिया है। जब अनावेदकगण के दो तरफ से रास्ता जा रहा है तो अनावेदकगण के खेत में से चारों तरफ रास्ता कैसे दिया जा सकता है। आवेदक खसरा नम्बर 406 में से, जहां से इस खसरा का वास्तविक आना जाना है रास्ता स्थित है से ही रास्ता की चौड़ाई बढ़ाकर मांगना न्यायोचित है। दुसरे विकल्प के रूप में आवेदक को खसरा नम्बर 403 से दक्षिणी दिशा से पूर्व की तरफ रास्ता मांगना चाहिए, जो आवेदक के निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 406 के बाद में 403 ही पड़ता है, जो खसरा नम्बर 404 के सटकर ही है। अनावेदकगण की भूमि में से रास्ता देने से अनावेदकगण को काफी हक तलफी होगी। अनावेदकगण से रास्ता मांगना, जो ना तो न्यायोचित है और ना ही तर्क संगत है, क्योंकि अनावेदकगणों का खेत नहीं है बल्कि यह आवासीय गुवाड़ी है, जहां अनावेदकगण मकान बनाकर सपरिवार बसे हुए है। अनावेदकगण की भूमि में से होकर दो दिशा में पहले से ही रास्ता में जा रहा है और उत्तरी छोर से रास्ता देने से गुवाड़ी के चारों तरफ रास्ता ही रास्ता हो जायेगा। इसके विपरीत खसरा नम्बर 406 व 403 ज्यादा नजदीक है तथा ज्यादा सुविधाजनक है। आवेदक का यह लिखना कि इस रास्ते श्के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, झूठ है जो अस्वीकार है। इस खसरा नम्बर 404 के मूल खातेदार हमेशा 50 वर्षों से जाते आते रहे है, वह रास्ता अब भी उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र की धारा नम्बर 4 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र की धारा नम्बर 5 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है।अतिरिक्त कथन –आवेदक करवा मण्डावा में भू–माफिया ग्रुप का सदस्य है तथा भ–माफियां के साथ प्रोपर्टी का व्यवसाय करता है, जमीन खरीद कर विवाद पैदा करता है। गरीब व असहाय लोगों की जमीने लेकर बाद में अपने पिता के नाम से डरा धमका कर पुलिस व न्यायालय का भय दिखाकर अपनी सुविधा के अनुसार प्लॉटिंग करता है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 404 में कभी में करीब 20 वर्षों से खेती / काश्त नहीं हुई है और ना ही आवेदक के पास कोई पशुधन है। आवेदक नगरपालिका मण्डावा का पूर्व चौयरमेन सज्जन मिश्रा का बेटा है और गरीब लोगों को न्यायालय में फंसाकर जमीन हड़पना चाहता है। आवेदक करीब 6 माह से अनावेदकगण पर दवाव डाल रहा है कि अपनी भूमि खसरा नम्बर 478 व 479 भी हमें बेचान कर दो वरना पूरी जमीन को में खराब कर दूंगा। आपकी गुवाडी की जमीन आपके कोई काम आने वाली नहीं रहेगी।आवेदक के पास दो तरह के विकल्प पहले से ही उपलब्ध है, जिसमें से होकर कहीं से भी निकटतम व सुविधाजनक रास्ता ले सकता है।धारा 251 (क) रा.का. अधिनियम कृषि जोतों पर लागू होती है जबकि विवादित भूमि खसरा नम्बर 404 कोई 20 वर्षों से कभी भी काश्त नहीं हुई है, चारों तरफ आवादी है, आवादी में आने के कारण तथा आवेदक भी उक्त भूमि की प्लॉटिंग करना चाहता है। जिस कारण यह प्रकरण 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं आता है। आवेदक कुछ भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।अनावेदकगण कृषि भूमि में ही अपने भाईयों के साथ मौके पर बंटवारा करके मकान बनाकर गुवाड़ी में बसे हुए है, बिजली पानी का कनेक्शन ले रखा है, यह कोई खेत की कृषि की जमीन नहीं है, जिस कारण प्रार्थी कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने लायक नहीं है । अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र खिलाफ कानून व तथ्यों के होने से भारी कोस्ट पर खारीज फरमाया जावे।

आवेदक की ओर से अनावेदक गण संख्या 01 व 02 प्रारम्भिक आपति का जवाबुल जवाब पेश किया कि यह कि जदाय की धारा 1 जिस प्रकार दार्ज है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने अपना आवेदन पत्र अ. धारा 251 क: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जाना स्वीकार है। यह कहना गलत है कि जो मात्र जोतों पर ही लागु किया जा सकता हो बल्कि धारा 251क का उद्देश्य

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

अपनी जीत तक पहुंचने के लिये अन्य खातेदार की जीत में से होकर एक नया मार्ग बनाना या विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना है। यह कहना गलत है कि आवेदकगण अपनी भूमि ख.न. 478, 479 का कृषि के रूप में काम में नहीं लेते हो। यह कहना गलत है कि अनावेदकगण सभी भाई अपनी भूमि में अपने अपने मकानात बनाकर बिजली पानी का कनेक्शन लेकर मय परिवार उस भूमि में आवाद है। निवास करते हो। यह कहना गलत है कि अब यह भूमि कृषि भूमि का स्वरूप खो चुकी हो और आवादी भूमि के रूप में हो। यह कहना गलत है कि इसके आस पास की अन्य भूमियां भी आवादी भूमि हो। जहां कस्बा मण्डावा का वार्ड नम्बर 20 आधा वसा हुआ है।। इस धारा के शेष तथ्य अस्वीकार है। जवाव प्रार्थना पत्र की प्रारम्भिक आपति की मद स.2 अस्वीकार है। जवाव प्रार्थना पत्र की प्रारम्भिक आपति की मद सं.३ अस्वीकार है। धारा वाईज जवावुल जवाव :– जवाव प्रार्थना पत्र की धारा न. 1 के जवाव की आवश्यकता नहीं है। जवाव प्रार्थना पत्र की धारा न. 2 के जवाव की आवश्यकता नहीं है।जवाव प्रार्थना पत्र की धारा न. 3 जिस प्रकार दर्ज है स्वीकार नहीं है। यह कहना गलत है कि इस धारा में आवेदक ने समस्त तथ्य झुंठे एव मनगढन्त दर्ज किये हो। यह कहना गलत है कि आवेदक के कोई पशुधन न हो। यह कहना गलत है कि एक असरदार राजनेता का पुत्र होने तथा जमीनों का कारोवार करने वाला होने के कारण अनावेदकगण को करीव तीन महिनों से डरा धमका रहा हो। यह कहना गलत है कि विवादित भूमि सेठों के समय से ही पड़त के रूप में पड़ी हो ना काश्त होती हो और करीव 15–20 वर्षों से कभी भी काश्त नहीं हुई हो। यह कहना गलत है कि यह आवादी भूमि के पास हो तथा आवेदक उक्त भूमि की प्लॉटिंग करना चाहता हो। यह कहना गलत है कि भूमि ख.न. 404 में जाने का रास्ता कस्बा से वावा छोटे नाथ जी की मण्डी में जाने के लिये एक आम रास्ता हो। यह कहना गलत है कि ख.न. 403, 404, 405, 406, 474 सभी खाली पड़त के रूप में हो जिनमें कोई काश्त नहीं होती हो। यह कहना गलत है।आवेदक को वास्तव में आने जाने के लिये ख.न. 406 खाली पड़ा हो जिसमें होकर ही उक्त भूमि के मुल खातेदार महाजन लोग आते जाते रहे हो। इस धारा में दर्ज शेष तथ्य झुंठे, मनगढन्त व निराधार होने से अस्वीकार है।जवाव प्रार्थना पत्र की धारा नं. 4 के जवाव की आवश्यकता नहीं है।जवाव प्रार्थना पत्र की धारा नं. 5 के जवाव की आवश्यकता नहीं है।जवाव अतिरिक्त कथनः–जवाव प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कथन की मद स. 6 अस्वीकार है। यह कहना गलत है कि आवेदक कस्बा मण्डावा में भु माफिया ग्रुप का सदस्य हो तथा भु माफियों के साथ प्रोपर्टी का व्यवसाय करता हो, जमीन खरीदकर विवाद पैदा करता हो, गरीव व असहाय लोगों की जमीन लेकर बाद में अपने पिता के नाम से डरा धमकाकर पुलिस व न्यायालय का भय दिखाकर अपनी सुविधा के अनुसार प्लॉटिंग करता हो। यह कहना गलत है कि भूमि ख.न. 404 में कभी भी करीव 20 वर्षों से खेती / काश्त नहीं हुई हो और ना ही आवेदक के पास कोई पशुधन है।। यह कहना गलत है कि गरीव लोगों को न्यायालय में फंसाकर जमीन हडपना चाहता हो। यह कहना गलत है कि आवेदक करीव 6 माह से अनावेदकगण पर दवाव डाल रहा हो कि अपनी भूमि ख.न. 478 व 479 भी हमें बेचान कर दो वरना पूरी जमीन को में खराब कर दुगां। आपकी गुवाड़ी की जमीन आपके कोई काम जवाब प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कथन की धारा 7 अस्वीकार है।जवाव प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कथन की धारा 8 जिस प्रकार दर्ज है स्वीकार नहीं है। धारा 251रू कः राज. काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य कृषि जोतो में खातेदार काश्तकार के आने जाने के लिये अन्य खातेदार काश्तकार की जोत में से होकर रास्ता वनाना, चौड़ा व विस्तारित करना है। आवेदक के खेत ख.न. 404 में आने जाने के लिये जमीन ख.न. 478. 479 में से होकर है अन्य वैकल्पिक कटानी कोई रास्ता मौजुद नहीं है। यह कहना गलत है कि भूमि ख.न. 404 कोई 20 वर्षों से कभी काश्त नहीं हुई है चारों तरफ आवादी हो आवादी में आने के कारण तथा आवेदक भी उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

की प्लीडिंग करना चाहता हो। यह कहना गलत है कि प्रकरण 251कक राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं आता हो आवेदक कुछ भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो।जवाब प्रार्थना पत्र की धारा 9 अस्वीकार है। इस धारा में पूर्ववर्ती धाराओं में दर्ज तथ्यों की पुर्नावर्ती की गई है।अतः आवेदक की ओर से जवाबुल जवाब सेवामें पेशकर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र धारा 251 के स्वीकार फरमाया जावे।

तहसीलदार मण्डावा से प्राप्त पुन: मौका रिपोर्ट क्रमांक 676 दिनांक 08.08.2024 का अवलोकन किया गया । तहसीलदार मण्डावा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 08.08. 2023 के अनुसार उक्त प्रकरण में पक्षकारान को निर्धारित दिनांक 08.08.2023 को मौके पर दौरान मौका रिपोर्ट तैयारी उपस्थित रहने बाबत सूचना पत्र जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सूचना पत्र के पक्षकारान सं. 02 लगायत 07 ने नोटिस लेने से इन्कार किया। जिसे उनके मकान पर चस्पा किया। मौके पर निर्धारित दिन को मौका देखा गया तो पाया कि ग्राम मण्डावा की आराजी नम्बर 404 जो कि खातेदार अजय कुमार मिश्रा पुत्र सज्जन लाल मिश्रा जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड है में पहुंचने के लिए डोटेड रास्ते से खसरा नम्बर 479 में से होकर रास्ता प्रस्तावित किया गया था। उक्त प्रस्तावित रास्ता डोटेड रास्ते से निकटतम है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता अतिरिक्त सुविधा के रूप में नहीं है।

तहसीलदार मण्डावा की रास्ता मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी पक्ष की ओर से निम्नानुसार आपति पत्र कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में आज तारीख पेशी नियत है। प्रकरण में माननीय न्यायालय ने तहसीलदार मण्डावा को दिनांक 27.07.2023 को आदेशित किया था कि उभय पक्षकारो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करें। लेकिन तहसीलदार, मण्डावा प्रार्थी के बहुत ही राजनैतिक दबाव के कारण पूर्वाग्रहित होकर कार्यवाही की है। तहसीलदार मण्डावा ने पक्षकारान को न तो कोई नोटिस तामील करवाया है। न ही पक्षकारान को अप्रार्थी पक्षकारान को स्वयं के आगमन की कोई सूचना दी, न ही तहसीलदार महोदय स्वयं मौके पर गये। मात्र अपने कार्यालय में ही बैठकर प्रार्थी पक्षकार के दबाव में गलत रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है जिस कारण उक्त रिपोर्ट निरस्तनीय है।अप्रार्थीगण विवादित भूमि अपने मकान बनाकर आवाद है तथा उक्त भूमि एक आवादी भूमि का हिस्सा है और कानून आवादी भूमि धनियम के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता।प्रार्थी ने मांगे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी के भूमि में पूर्व में नगरपालिका मण्डावा द्वारा निर्मित सड़क है। उक्त सड़क से प्रार्थी के खेत के खसरा नम्बर 404 में जाने के लिए निकटतम रास्ता है तथा खसरा नम्बर 404 में जाने के लिए खसरा नम्बर 403 एक निकटतम रास्ता है। उक्त विन्दुओं को श्रीमान् तहसीलदार महोदय ने अवलोकन न कर कानूनी भूल की है।उपरोक्त कारणों की वजह से रिपोर्ट तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट पूर्वाग्रहित बॉगस दस्तावेज है जो प्रार्थी पक्षकार की राजनैतिक पहुंच की वजह से बनाया गया है। जिस कारण यह एक शून्य रिपोर्ट है। जो काबिले खारिज है।अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि श्रीमान् तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट को खारिज फरमाये तथा दोनो पक्षकारो को नोटिस तामील करवाकर पक्षकारो की मौजूदगी में ही रिपोर्ट तैयार करवाकर भिजवाने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी की ओर से आपति प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि विपक्षीगल द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुवार बनायी गयई मौका रिर्पोट पर आपति पुत्तुत की है। परन्तु गलत व निराधार पर तथ्यों के आधार पर आपति दायर की है क्योकि मौका रिर्पोट न्यायालय के आदेशानुवार विधिक प्रक्रिया अपना कर ही तैयार की गयी है जितकी तुपना समय पर दी है और सुपना के बावजूद भी विपक्षीगण मौके पर उपत्थित नही आये । जवकि राजस्व टीम द्वारा मौके पर सौके अनुतार ही रिर्पोट

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

तैयार की है और रिपोर्ट में दर्ज अनुसार रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता भी प्रार्थी के उपयोग-उपभोग के लिए नहीं है यही एक मात्र निकटतम रास्ता है। अतः जवाब आवेदन पत्र पेशकर निवेदन है कि विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे

आपत्ति प्रार्थना पत्र पर वकुलाय पक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोराहे तथा पुनः मौका रिपोर्ट मगवाने का निवेदन किया गया। वकील आवेदक द्वारा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र झूठे एवं मनगढंत तथ्यों पर पेश किया है जो कि मय हर्जे खर्चे खारिज फरमान का निवेदन किया ।

हमने तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अनावेदक/अप्रार्थी गण के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति तहसीलदार रास्ता मौका रिपोर्ट के संबंध प्रस्तुत तथ्यों की तायद में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही कर सके जिसे अप्रार्थी के कथन सही प्रतीत हो। अतः अप्रार्थी का आपत्ति प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इसके उपरान्त मूल प्रार्थना पत्र पर वकुलाय पक्ष को सुना गया ।

वकील आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराह हुए निवेदन किया कि तहसीलदार गणडाया की रास्ता मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया । वकील अनावेदक ने आवेदक वकील के तथ्यों को विरोध दर्ज कराते हुए जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोराते हुए निवेदन किया किया कि प्रार्थना मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक के खेत ख.न. 404 में पहुंच बावत खसरा न. ख.न. 479 में से रास्ता चाहा गया है । प्रार्थी के ख.न. में आन जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। जिसकी

उपखण्ड अधिकारी
गणडाया

पुष्टि तहसीलदार मण्डावा की जांच रिपोर्ट से होती है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि अथवा डी.एल.सी की दुगुनी दर से राशि दिये जाने की सहमती दी है। परन्तु धारा 251क में रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रथमदृष्टया प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को खेत ख.न. 404 में आने–जाने के लिये निकटतम दूरी खेत खसरा खसरा न. 479 में रास्ते की लम्बाई 63 मी. व चौड़ाई 9.14 मीटर(30 फीट) है जिसका क्षेत्रफल 572.82 वर्गमीटर जो तहसीलदार मण्डावा की मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार दर्शित है को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मण्डावा को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा